

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम, पटना।
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद- सुपौल एवं फुलवारीशरीफ।
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत- बेलसंड, नवगछिया एवं बखरी।

पटना, दिनांक- 27.3.17

विषय:- “मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना” अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में चयनित नगर निकायों को पंचम् राज्य वित्त आयोग के Grant की राशि में से ₹1300.00 लाख (तेरह करोड़ रु०) मात्र पुरस्कार हेतु सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्थानीय शहरी निकायों को Grant के रूप में प्राप्त होने वाली राशि में से Overall Performance के अंतर्गत दी जाने वाली राशि “मुख्यमंत्री नगर निकाय प्रोत्साहन योजना” के नाम से दिया जाएगा। वर्ष में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 01 नगर निगम को पाँच करोड़ रु०, 02 नगर परिषदों को तीन-तीन करोड़ तथा दो नगर पंचायतों को एक-एक करोड़ रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप उपलब्ध करायी जायेगी।

“मुख्यमंत्री नगर निकाय प्रोत्साहन योजना” से संबंधित विभागीय संकल्प सं०- 1039, दिनांक- 17.02.2016 के प्रावधानों के तहत विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप नगर निकायों का चयन किया जायेगा।

2. पंचम् राज्य वित्त आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को Grant के रूप में प्राप्त होने वाली राशि के संबंध में उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप निम्नलिखित नगर निकायों को मुख्यमंत्री नगर निकाय प्रोत्साहन योजना के लिए चयनित किया गया है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	श्रेणी	प्रोत्साहन की राशि	आवंटित राशि	विषय शीर्ष जिससे राशि की निकासी की जानी है		कुल आवंटित राशि (6+7)
					31 05	31 06	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नगर निगम, पटना	प्रथम	500.00	500.00	250.00	250.00	500.00

2.	नगर परिषद, सुपौल	प्रथम	300.00	300.00	150.00	150.00	300.00
3.	नगर परिषद, फुलवारीशरीफ	द्वितीय	300.00	300.00	150.00	150.00	300.00
4.	नगर पंचायत, बेलसंड	प्रथम	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00
5.	नगर पंचायत, नवगछिया	द्वितीय	50.00	50.00	25.00	25.00	50.00
6.	नगर पंचायत, बखरी	द्वितीय	50.00	50.00	25.00	25.00	50.00
कुल योग			1300.00	1300.00	650.00	650.00	1300.00

3. तालिका के स्तम्भ- 2 में अंकित नगर निकायों को विभागीय संकल्प सं०- 1039, दिनांक- 17.02.2016 के आलोक में मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना के लिए चयनित किया गया है। तालिका के क्रमांक 5 एवं 6 पर अंकित नगर निकायों द्वारा योजना के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने के एवज में मिले अंक बराबर रहने की स्थिति में दोनों ही नगर निकायों को द्वितीय स्थान के लिए चयनित किया गया है तथा पुरस्कार की राशि में से आधा आधा दोनों नगर निकायों को देने का निर्णय लिया गया है।

4. उक्त कंडिका- 2 एवं विभागीय राज्यादेश सं०-349 दिनांक-31.01.12 के आलोक में तालिका में अंकित चयनित कुल 06 नगर निकायों को पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में Grant की राशि को विभागीय संकल्प सं०- 1039, दिनांक- 17.02.2016 के अनुरूप कुल ₹1300.00 लाख (तेरह करोड़ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में उपरोक्त तालिका के अनुसार आवंटित किया जाता है।

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹1300.00 लाख (तेरह करोड़ रु०) मात्र।

5. आवंटित कुल ₹1300.00 लाख (तेरह करोड़ रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित नगर निकायों के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 396, दिनांक- 24.04.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में संबंधित कोषागार से की जायेगी।

6. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम-270 के आलोक में यथा TC फार्म संख्या-42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1496, दिनांक- 22.02.08 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी० भी० नंबर एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार कार्यालय बिहार को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

7. (क) उक्त आवंटित कुल राशि ₹1300.00 लाख (तेरह करोड़ रु०) मात्र में से तालिका के क्रमांक- 1 के सम्मुख स्तम्भ- 5 में अंकित राशि ₹500.00 लाख (पाँच करोड़ रु०) मात्र की निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मांग संख्या-48 गैर योजना आय-व्ययक के मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-80-सामान्य 191-नगर निगम को सहायता-0013-राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में

नगर निगम को सहायक अनुदान-विपत्र कोड- N 2217801910013 विषय शीर्ष-31 05 तथा विषय शीर्ष 31 06 से की जाएगी। इस विपत्र कोड एवं विषय शीर्ष से राशि की निकासी नगर निगम, पटना द्वारा की जाएगी।

(ख) उक्त आवंटित कुल राशि ₹1300.00 लाख (तेरह करोड़ रु०) मात्र में से तालिका के क्रमांक- 2 एवं 3 के सम्मुख स्तम्भ- 5 में अंकित ₹600.00 लाख (छः करोड़ रु०) मात्र की निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मांग संख्या-48 गैर योजना आय-व्ययक के मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-80-सामान्य 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता-0005-राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर परिषद् को सहायक अनुदान-विपत्र कोड- N 2217801920005 विषय शीर्ष-31 05 तथा विषय शीर्ष 31 06 से की जाएगी। इस विपत्र कोड एवं विषय शीर्ष से राशि की निकासी संबंधित नगर परिषदों द्वारा की जाएगी।

(ग) उक्त आवंटित कुल राशि ₹1300.00 लाख (तेरह करोड़ रु०) मात्र में से तालिका के क्रमांक- 4 से 6 के सम्मुख स्तम्भ- 5 में अंकित राशि ₹200.00 लाख (दो करोड़ रु०) मात्र की निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मांग संख्या-48 गैर योजना आय-व्ययक के मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-80-सामान्य 193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता-0005-राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायत को सहायक अनुदान-विपत्र कोड- N 2217801930005 विषय शीर्ष-31 05 तथा विषय शीर्ष 31 06 से की जाएगी। इस विपत्र कोड एवं विषय शीर्ष से राशि की निकासी संबंधित नगर पंचायतों द्वारा की जाएगी।

8. सभी नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना एवं संबंधित कार्यपालक पदाधिकारियों से अनुरोध है कि उनके नगर निकाय के सम्मुख अंकित विपत्र कोड एवं विषय शीर्ष से ही राशि की निकासी करें। इससे संबंधित किसी भी प्रकार के विचलन की जिम्मेवारी संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी की होगी।

9. प्राप्त पुरस्कार/प्रोत्साहन राशि का व्यय संबंधित नगर निकायों द्वारा विभागीय संकल्प सं०-1039, दिनांक- 17.02.2016 में निहित कंडिका- 2(घ) के अनुसार संबंधित नगर निकाय बोर्ड के निर्णयानुसार नगरपालिका अधिनियम में उद्धृत दायित्वों के निर्वहन पर किया जायेगा।

10. चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत राशि की संबंधित कोषागार से निकासी करना संबंधित नगर निकायों का दायित्व है।

11. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

12. वित्त विभाग की सहमति संचिका सं०-05न०वि०/विविध-160/2015 के पृ०- 49/टि० पर दिनांक- 06.02.2017 को प्राप्त है।

13. मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक- 24.08.2016 की बैठक के मद संख्या- 08 के रूप में प्राप्त है।

G

14. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल/के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-05न०वि०/विविध-160/2015 343 /न०वि०एवंआ०वि० पटना, दिनांक-21-3-17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रबंधक एम०आई०एस० को सभी नगर निकायों को सूचित करने हेतु/विभागीय आई टी मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सभी नगर निकायों को ई-मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (10 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

Case 21/17

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 27-3-16

विषय:- “मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना” अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में चयनित नगर निकायों को पंचम् राज्य वित्त आयोग के Grant की राशि में से ₹1300.00 लाख (तेरह करोड़ रु०) मात्र पुरस्कार हेतु सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्थानीय शहरी निकायों को Grant के रूप में प्राप्त होने वाली राशि में से Overall Performance के अंतर्गत दी जाने वाली राशि “मुख्यमंत्री नगर निकाय प्रोत्साहन योजना” के नाम से दिया जाएगा। वर्ष में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 01 नगर निगम को पाँच करोड़ रु०, 02 नगर परिषदों को तीन-तीन करोड़ तथा दो नगर पंचायतों को एक-एक करोड़ रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप उपलब्ध करायी जायेगी।

“मुख्यमंत्री नगर निकाय प्रोत्साहन योजना” से संबंधित विभागीय संकल्प सं०- 1039, दिनांक- 17.02.2016 के प्रावधानों के तहत विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप नगर निकायों का चयन किया जायेगा।

2. पंचम् राज्य वित्त आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को Grant के रूप में प्राप्त होने वाली राशि के संबंध में उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप निम्नलिखित नगर निकायों को मुख्यमंत्री नगर निकाय प्रोत्साहन योजना के लिए चयनित किया गया है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	श्रेणी	प्रोत्साहन की राशि	स्वीकृत राशि	विषय शीर्ष जिससे राशि की निकासी की जानी है		कुल स्वीकृत राशि (6+7)
					31 05	31 06	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नगर निगम, पटना	प्रथम	500.00	500.00	250.00	250.00	500.00
2.	नगर परिषद, सुपौल	प्रथम	300.00	300.00	150.00	150.00	300.00
3.	नगर परिषद, फुलवारीशरीफ	द्वितीय	300.00	300.00	150.00	150.00	300.00
4.	नगर पंचायत, बेलसंड	प्रथम	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00

5.	नगर पंचायत, नवगछिया	द्वितीय	50.00	50.00	25.00	25.00	50.00
6.	नगर पंचायत, बखरी	द्वितीय	50.00	50.00	25.00	25.00	50.00
कुल योग			1300.00	1300.00	650.00	650.00	1300.00

3. तालिका के स्तम्भ- 2 में अंकित नगर निकायों को विभागीय संकल्प सं०- 1039, दिनांक- 17.02.2016 के आलोक में मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना के लिए चयनित किया गया है। तालिका के क्रमांक 5 एवं 6 पर अंकित नगर निकायों द्वारा योजना के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने के एवज में मिले अंक बराबर रहने की स्थिति में दोनों ही नगर निकायों को द्वितीय स्थान के लिए चयनित किया गया है तथा पुरस्कार की राशि में से आधा आधा दोनों नगर निकायों को देने का निर्णय लिया गया है।

4. उक्त कंडिका- 2 के आलोक में तालिका में अंकित चयनित कुल 06 नगर निकायों को पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में Grant की राशि को विभागीय संकल्प सं०- 1039, दिनांक- 17.02.2016 के अनुरूप कुल ₹1300.00 लाख (तेरह करोड़ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में उपरोक्त तालिका के अनुसार स्वीकृत किया जाता है।

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹1300.00 लाख (तेरह करोड़ रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

5. स्वीकृत कुल ₹1300.00 लाख (तेरह करोड़ रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित नगर निकायों के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.96 एवं पत्रांक- 396, दिनांक- 24.04.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में संबंधित कोषागार से की जायेगी।

6. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। चूंकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम-270 के आलोक में यथा TC फार्म संख्या-42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1496, दिनांक- 22.02.08 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी० भी० नंबर एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार कार्यालय बिहार को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

7. (क) उक्त स्वीकृत कुल राशि ₹1300.00 लाख (तेरह करोड़ रु०) मात्र में से तालिका के क्रमांक- 1 के सम्मुख स्तम्भ- 5 में अंकित राशि ₹500.00 लाख (पाँच करोड़ रु०) मात्र की निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मांग संख्या-48 गैर योजना आय-व्ययक के मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-80-सामान्य 191-नगर निगम को सहायता-0013-राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर निगम को सहायक अनुदान-विपत्र कोड- N 2217801910013 विषय शीर्ष-31 05 तथा विषय शीर्ष 31 06 से की

४

जाएगी। इस विपत्र कोड एवं विषय शीर्ष से राशि की निकासी नगर निगम, पटना द्वारा की जाएगी।

(ख) उक्त स्वीकृत कुल राशि ₹1300.00 लाख (तेरह करोड़ रु०) मात्र में से तालिका के क्रमांक— 2 एवं 3 के सम्मुख स्तम्भ— 5 में अंकित ₹600.00 लाख (छः करोड़ रु०) मात्र की निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मांग संख्या-48 गैर योजना आय-व्ययक के मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-80-सामान्य 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता-0005-राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर परिषद् को सहायक अनुदान-विपत्र कोड- N 2217801920005 विषय शीर्ष-31 05 तथा विषय शीर्ष 31 06 से की जाएगी। इस विपत्र कोड एवं विषय शीर्ष से राशि की निकासी संबंधित नगर परिषदों द्वारा की जाएगी।

(ग) उक्त स्वीकृत कुल राशि ₹1300.00 लाख (तेरह करोड़ रु०) मात्र में से तालिका के क्रमांक— 4 से 6 के सम्मुख स्तम्भ— 5 में अंकित राशि ₹200.00 लाख (दो करोड़ रु०) मात्र की निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मांग संख्या-48 गैर योजना आय-व्ययक के मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-80-सामान्य 193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता-0005-राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायत को सहायक अनुदान-विपत्र कोड- N 2217801930005 विषय शीर्ष-31 05 तथा विषय शीर्ष 31 06 से की जाएगी। इस विपत्र कोड एवं विषय शीर्ष से राशि की निकासी संबंधित नगर पंचायतों द्वारा की जाएगी।

8. सभी नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना एवं संबंधित कार्यपालक पदाधिकारियों से अनुरोध है कि उनके नगर निकाय के सम्मुख अंकित विपत्र कोड एवं विषय शीर्ष से ही राशि की निकासी करें। इससे संबंधित किसी भी प्रकार के विचलन की जिम्मेवारी संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी की होगी।

9. प्राप्त पुरस्कार/प्रोत्साहन राशि का व्यय संबंधित नगर निकायों द्वारा विभागीय संकल्प सं०-1039, दिनांक- 17.02.2016 में निहित कंडिका- 2(घ) के अनुसार संबंधित नगर निकाय बोर्ड के निर्णयानुसार नगरपालिका अधिनियम में उद्धृत दायित्वों के निर्वहन पर किया जायेगा।

10. चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत राशि की संबंधित कोषागार से निकासी करना संबंधित नगर निकायों का दायित्व है।

11. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

12. वित्त विभाग की सहमति संचिका सं०-05न०वि०/विविध-160/2015 के पृ०- 49/टि० पर दिनांक- 06.02.2017 को प्राप्त है।

13. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 05न०वि०/विविध-160/2015 के पृष्ठ सं०- 58/टि० पर दिनांक- 10.03.2017 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 58/टि० पर दिनांक- 15.03.2017 को प्राप्त है।

14. मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक- 24.08.2016 की बैठक के मद संख्या- 08 के रूप में प्राप्त है।

15. इसकी सूचना संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-05न०वि०/विविध-160/2015 342 /न०वि०एवंआ०वि० पटना, दिनांक-23/3/17

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रबंधक एम०आई०एस० को सभी नगर निकायों को सूचित करने हेतु/विभागीय आई टी मैनेजर को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने एवं सभी नगर निकायों को ई-मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (10 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

cmr 2/3/17